

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 08/मू0अ0/ज0स0/2019/

घोषणा

दिनांक

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना हेतु डिग्गीयों एवं मॉस बेल्टिंग रिजवायर निर्माण के लिए राजाखेड़ा तहसील के ग्रामों की भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय धौलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

संलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

६०

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्राय. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 08/मू0अ0/ज0स0/2019/ 3546 — 3549

दिनांक = 04-08-21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु।
- 3-अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय धौलपुर/अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन धौलपुर लिफ्ट खण्ड, धौलपुर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-
(क) इस विज्ञापित को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।
(ख) इस विज्ञापित को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4-भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्राय. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर की तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान की ग्राम पंचायत बसईकारे के गाँवों में धौलपुर लिफ्ट सिंवाई एवं पेयजल परियोजना कार्य के लिए मास बेलेन्सिंग रिजरवायर के निर्माण हेतु धारा 19 के लिए अवाप्त किये जाने वाली भूमि के प्रस्ताव

गोशवारा

क्रं संख्या	गाँव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	मास बेलेन्सिंग रिजरवायर निर्माण में अवाप्त भूमि					
					निजी		सरकारी		कुल भूमि	
					बीघा	विस्वा	बीघा	विस्वा	बीघा	विस्वा
1	बसईकारे	बसईकारे	राजाखेडा	धौलपुर	47	9.04	342	19	390	8.04
2	हनुमानपुरा	बसईकारे	राजाखेडा	धौलपुर	0	0	86	8	86	8
3	सिहोली	बसईकारे	राजाखेडा	धौलपुर	24	18	150	15	175	13
					72	7.04	580	02	652	9.04

SPC
सहायक अभियन्ता
जल संसाधन लिफ्ट उपखण्ड चतुर्थ
धौलपुर

hsh
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन धौलपुर लिफ्ट खण्ड
धौलपुर

hsh
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत्त धौलपुर

hsh
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत्त धौलपुर
25/08/20